तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज **न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम0 3 अजमेर** **दीवानी वाद सख्या 98/2012** **सीआईएस संख्या 122/2014** **मुन्ना उर्फ मनवर खां व अन्य बनाम शमनूर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.11.2025	वकुलाय फरिकेन उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1(3) सपठित धारा 151 सीपीसी सुनी गयी। दौराने बहस वकुलाय ने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये बहस की। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2 से 6 की ओर से निवेदन किया गया कि वादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बंध में प्रतिवादी सं. 2 से 6 के विरूद्ध पुलिस थाना सिविल लाईन में एफ.आई.आर. सं. 21/2013 प्रतिवादी सं. 1 ने दर्ज करवायी थी। जिसमें चार्जशीट पेश किये जाने के पश्चात बाद विचारण फौजदारी नियमित प्रकरण सं. 9583/2014 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1 अजमेर द्वारा दिनांक 17.12.2024 को निर्णित करके प्रतिवादीगण को दोषमुक्त कर दिया गया, जिस प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 तथा वादी मुन्ना के बयान लेखबद्ध कराये गये थे, जो निर्णय प्रकरण में सुसंगत है। अतः उसकी प्रति को रिकॉर्ड पर लिया जावे। जिसके जवाब बहस में अधिवक्ता वादी की ओर से उक्त तर्कों का विरोध करते हुये निवेदन किया गया कि उक्त निर्णय की अपील वर्तमान में अपीलीय न्यायालय में लम्बित है। अतः उक्त निर्णय किसी प्रकार सुसंगत नहीं है। साथ ही बहस में निवेदन किया गया कि उक्त फौजदारी कार्यवाही में वादी मुन्ना तथा प्रतिवादी सं. 1 शमनूर के बयान होने की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे। मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में पत्रावली तथा संबंधित विधिक प्रावधान का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सं. 2 से 6 द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बंध में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उनके विरूद्ध धारा 420, 406, 120बी भा.द.सं. में दर्ज प्रकरण का निर्णय पारित होकर उन्हें दोषमुक्त करना बताया गया है, जिस तथ्य से अधिवक्ता वादी द्वारा इंकार नहीं किया जाकर केवल मात्र उक्त प्रकरण की अपील लम्बित होना बताया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में स्पष्टतः उस प्रकरण में वादी मुन्ना उर्फ मनवर तथा प्रतिवादी सं. 1 शमनूर के बयान लेखबद्ध करना बताया गया है, जिस तथ्य से अधिवक्ता वादी द्वारा इंकार नहीं किया गया है। चूंकि उक्त फौजदारी प्रकरण वादग्रस्त सम्पत्ति से संबंधित होना बताया गया है तथा जिसमें वादी मुन्ना उर्फ मनवर खां तथा प्रतिवादी सं. 1 शमनूर के बयान लेखबद्ध होना निर्णय की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। अतः उक्त निर्णय प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण में सुसंगत व सहायक प्रतीत होता है। पत्रावली अभी	

	साक्ष्य वादी हेतु नियत है। जिसमें वादी को उक्त दस्तावेज के खण्डन बाबत साक्ष्य पेश करने बाबत पर्याप्त अवसर मिलेगा। अतः बाद गौर न्यायोचित प्रतीत होने से प्रतिवादी सं. 2 से 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1(3) सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर संलग्न दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की जाती है। जिस हेतु समय चाहा। प्रकरण टार्गेट पत्रावली है, अतः आदेश दिया जाता है कि आईन्दा आवश्यक रूप से गवाह पेश करे व प्रतिवादीगण आवश्यक रूप से जिरह करे। और अवसर नहीं दिया जावेगा। पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 15.11.2025 को पेश हो। **(नीरज गुप्ता)** **अपर जिला न्यायाधीश,** **क्रम–3, अजमेर**	